

सेवा में,

महाप्रबन्धक,
उपनल, उत्तराखण्ड।

पत्रांक: रा०प०नि०/५०१८ /०५-RTE/2011-12 दिनांक ०४ दिसम्बर, 2011
विषय: सर्व शिक्षा अभियान तथा मध्याहन भोजन योजना प्रकोष्ठ हेतु कार्मिक उपलब्ध कराने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक—अ०रा०प०नि०/३०४८/०५—आर०टी०ई०/२०११-१२ दिनांक 21 नवम्बर 2011 तथा पत्रांक—रा०प०नि०/४०५४/०५—आर०टी०ई०/२०११-१२ दिनांक 02 दिसम्बर 2011 के प्रत्युत्तर में आपके पत्र संख्या—५३००/आर०पी०ओ० दिनांक 02 दिसम्बर 2011 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। सर्व शिक्षा अभियान तथा मध्याहन भोजन योजना प्रकोष्ठ में विभिन्न स्तरों पर रिक्त पदों पर कार्मिकों की उपलब्धता हेतु आपकी सहमति के क्रम में निम्न विवरणानुसार कार्मिकों की आवश्यकता है—

(1) सर्व शिक्षा अभियान (जनपद स्तर)

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पकालिक अनुदेशक (कला) (रु० ८००० प्रतिमाह अधिकतम)	अल्पकालिक अनुदेशक (स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा) (रु० ८००० प्रतिमाह अधिकतम)	अल्पकालिक अनुदेशक (कार्यानुभव) (रु० ८००० प्रतिमाह अधिकतम)	विषय विशेष प्रशिक्षण हेतु बी०आर०सी० स्तर पर रिसोर्स पर्सन (बी०आर०पी०) (रु० १५००० प्रतिमाह अधिकतम)	एम०आई० एस० समन्वयक (रु० १२००० प्रतिमाह अधिकतम)	एकाउन्टेंट कम सपोर्ट स्टाफ (रु० १०००० प्रतिमाह अधिकतम)	वलस्टर रिसोर्स पर्सन (सी०आर० पी०) (रु० १५००० प्रतिमाह अधिकतम)
1	अल्मोड़ा	०७	०७	०७	३३	११	४४	०
2	बागेश्वर	०५	०५	०५	९	३	१७	२
3	चमोली	०६	०६	०६	२७	९	२८	०
4	चम्पावत	०६	०६	०६	१२	४	१४	०
5	देहरादून	८३	८३	८३	१८	६	३४	०
6	हरिद्वार	१०२	१०२	१०२	१८	६	१८	०
7	नैनीताल	२५	२५	२५	२४	८	२९	०
8	पौड़ी	१६	१६	१६	४५	१५	४७	०
9	पिथौरागढ़	०४	०४	०४	२४	८	२७	०
10	रुद्रप्रयाग	०९	०९	०९	९	३	१६	०
11	टिहरी	१२	१२	१२	२७	९	४१	२
12	ऊ०सिंहनगर	११९	११९	११९	२१	७	२६	५
13	उत्तरकाशी	१३	१३	१३	१८	६	२२	६
	योग	४०७	४०७	४०७	२८५	९५	३६३	१५

(2) सर्व शिक्षा अभियान (राज्य परियोजना कार्यालय, देहरादून)

क्र०सं०	पद का नाम	पदों की संख्या	अधिकतम मानदेय (समस्त करों सहित)
1	अवर अभियन्ता	०१	रु० १०४०० प्रतिमाह

(3) मध्याहन भोजन योजना प्रकोष्ठ (राज्य परियोजना कार्यालय, देहरादून)

क्र0सं0	पद का नाम	पदों की संख्या	अधिकतम मानदेय (समस्त कर्रों सहित)
1	समन्वयक	02	रु0 8100 प्रतिमाह
2	कम्प्यूटर आपरेटर	01	रु0 8100 प्रतिमाह
3	सहायक लेखाकार	01	रु0 8100 प्रतिमाह
4	लेखा परीक्षक	01	रु0 9000 प्रतिमाह
	योग	05	

उक्त पदों पर कार्मिकों की उपलब्धता निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी—

1. उक्त पदों हेतु पदवार शैक्षिक एवं प्रशिक्षण योग्यताओं का विवरण शासनादेश संख्या—377/XXIV(1)/2011-62/2010 दिनांक 28 अप्रैल 2011 तथा शासनादेश संख्या—1784/XXIV(1)/2010-07/2009 T.C. के अनुसार निर्धारित किया गया है। शासनादेशों की छायाप्रतियाँ संलग्न हैं। इन शासनादेशों में वर्णित शैक्षिक एवं प्रशिक्षण योग्यताओं के आधार पर ही कार्मिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने का कष्ट करें। उपनल द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिकों की शैक्षिक एवं प्रशिक्षण योग्यताओं सम्बन्धी प्रमाण पत्रों की जाँच सम्बन्धित जनपदों अथवा कार्यालय स्तर पर इस हेतु गठित समिति द्वारा की जायेगी तथा संतुष्ट होने पर ही कार्मिकों को कार्यभार ग्रहण करवाया जायेगा। शैक्षिक तथा प्रशिक्षण योग्यता सम्बन्धी अंक पत्रों तथा प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रतियाँ सम्बन्धित जिला परियोजना कार्यालय/राज्य परियोजना कार्यालय में उपलब्ध करवायी जानी होगी।
2. उक्त पदों पर प्रथमतः कार्मिकों की तैनाती 31 मार्च 2011 तक की जायेगी तथा वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2012-13 में भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृतियों के क्रम में ही कार्मिकों की कार्य अवधि बढ़ाने पर विचार किया जायेगा।
3. प्रत्येक जनपद एवं राज्य स्तरीय कार्यालयों में कार्मिकों की व्यवस्था सम्बन्धी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाये जाने के उद्देश्य से शासकीय नियमों को दृष्टिगत रखते हुए अपने स्तर से इस सम्बन्ध में राज्य में व्यापक प्रचार-प्रसार भी करने का कष्ट करें।
4. कार्मिकों की संख्या आवश्यकतानुसार समय-समय पर घट-बढ़ सकती है।
5. कार्मिकों का कार्य/व्यवहार संतोषप्रद न पाये जाने पर सम्बन्धित कार्मिक को उपनल को किसी भी समय प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा।
6. जनपद, विद्यालय, विकासखण्ड तथा संकुल स्तरीय पदों हेतु कार्मिकों की उपलब्धता सम्बन्धित जनपद के जिला परियोजना कार्यालय, सर्व शिक्षा अभियान को की जानी होगी तथा कार्मिकों के मानदेय सम्बन्धी बिल भी प्रतिमाह सम्बन्धित जिला परियोजना कार्यालय को उपलब्ध करवाये जाने होंगे। मानदेय बिलों में कार्मिक को देय मानदेय, ई0एस0आई0, पी0एफ0, सर्विस टैक्स तथा सर्विस चार्ज की धनराशि का स्पष्ट विवरण होगा। कार्मिकों को मानदेय का भुगतान सक्षम अधिकारी द्वारा उनकी उपस्थिति प्रमाण पत्र के आधार पर ही किया जायेगा। राज्य परियोजना कार्यालय में मध्याहन भोजन योजना प्रकोष्ठ हेतु कार्मिकों की उपलब्धता मध्याहन भोजन योजना प्रकोष्ठ को तथा राज्य परियोजना कार्यालय हेतु कार्मिकों की उपलब्धता राज्य परियोजना कार्यालय को की जानी होगी।
7. उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद् की कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 11 जुलाई 2011 के एजेण्डा बिन्दु संख्या—8 पर आउट सोर्सिंग के माध्यम से की जाने वाली तैनातियों में स्थानीय निवासियों को वरीयता प्रदान किये जाने तथा सर्व शिक्षा अभियान—आर0टी0ई0 के अन्तर्गत स्वीकृत बी0आर0पी0 के 285 तथा सी0आर0पी0 के 15 पदों पर सेवानिवृत्त अध्यापकों की तैनाती किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया है। कार्यकारिणी समिति की बैठक का कार्यवृत्त संलग्न है। इन कार्मिकों की तैनाती कार्यकारिणी समिति के निर्देशानुसार ही की जानी होगी।

8. प्रत्येक पद के सापेक्ष कार्मिकों के कार्य एवं दायित्वों के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश सम्बन्धित जनपद अथवा कार्यालय को उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। जिनका अनुपालन कार्मिकों को अनिवार्यतः करना होगा।

कृपया, उक्त विवरणानुसार सम्बन्धित कार्मिकों की उपलब्धता यथास्थिति सम्बन्धित जनपदों/जिला परियोजना कार्यालयों तथा राज्य परियोजना कार्यालय को यथाशीघ्र करवाने का कष्ट करें।

भवदीया

(डा० निधि पाण्डेय)
राज्य परियोजना निदेशक,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पृ०सं०: रा०प०नि०/५०।८ /०५-RTE/2011-12 तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ तथा अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, सिंचाई, लघु सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, विद्यालयी शिक्षा एवं भाषा, उत्तराखण्ड सरकार को मा० मंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
3. संयुक्त निदेशक, मध्याहन भोजन योजना प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड।

(डा० निधि पाण्डेय)
राज्य परियोजना निदेशक,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

O | C

प्रेषक,

मनीषा पंवार
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

✓ राज्य परियोजना निदेशक,
उत्तराखण्ड सभी के लिये शिक्षा परिषद्,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग-1 (बेसिक)

देहरादून: दिनांक: २९ अप्रैल, 2011

विषय:-

शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के परिदृश्य में उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु अल्पकालिक अनुदेशकों तथा अन्य पदों की शैक्षिक अहता निर्धारित/आउटसोर्सिंग से व्यवस्था किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3096/आर0टी0ई0-पद सृजन/2010-11, दिनांक 21.12.2010 एवं पत्र संख्या-3381/आर0टी0ई0-पद सृजन/2010-11, दिनांक 15.01.2011 के क्रम में, सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के परिदृश्य में आउटसोर्सिंग के आधार पर, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संगीत एवं वादन, कला, योग एवं स्वास्थ्य तथा कार्यानुभव हेतु अल्पकालिक अनुदेशक, बी0आर0सी0 स्तर पर रिसोर्स पर्सन, एम0आई0एस0 समन्वयक, एकाउन्टेण्ट कम सपोर्ट स्टाफ तथा क्लस्टर रिसोर्स पर्सन हेतु जनपदवार निम्नलिखित पदों की व्यवस्था किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	जनपद नाम	का अल्पकालिक अनुदेशक (निर्धारित मानदेय रु0 5,000/- प्रतिमाह)	विषय विशेष प्रशिक्षण हेतु बी0 आर0सी0 स्तर पर रिसोर्स पर्सन (निर्धारित मानदेय रु0 15,000/-प्रतिमाह)	एम0आई0एस0 समन्वयक (निर्धारित मानदेय रु0 12,000/-प्रतिमाह)	एकाउन्टेण्ट कम सपोर्ट स्टाफ (निर्धारित मानदेय रु0 10,000/-प्रतिमाह)	क्लस्टर रिसोर्स पर्सन (निर्धारित मानदेय रु0 15,000/-प्रतिमाह)
1	अल्मोड़ा	21	33	11	44	0
2	बागेश्वर	15	9	3	17	2
3	चमोली	18	27	9	28	0
4	चम्पावत	18	12	4	14	0
5	देहरादून	249	18	6	34	0
6	हरिद्वार	306	18	6	18	0
7	नैनीताल	75	24	8	29	0
8	पौड़ी	48	45	15	47	0
9	पिथौरागढ़	12	24	8	27	0
10	रुद्रप्रयाग	27	9	3	16	0
11	टिहरी	36	27	9	41	2
12	ऊधमसिंहनगर	357	21	7	26	5
13	उत्तरकाशी	39	18	6	22	6
	कुल योग-	1221	285	95	363	15

नोट—मानदेय की धनराशि वह होगी जो आउटसोर्सिंग हेतु चयनित एजेन्सी को देय होगी। पदों के सापेक्ष उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित मानदेय की धनराशि अधिकतम देय सीमा होगी।

2. इन पदों पर चयन उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (Procurement) नियमा 2008 में निहित व्यवस्थाओं/दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए वासेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से तैनाती की जायेगी।

3. उपरोक्त सभी पदों का व्यय भार परियोजना के कार्यकाल तक सर्व शिक्षा अभियान मद से वहन किया जायेगा। परियोजना अवधि समाप्त होने पर ये सभी पद स्वतः समाप्त हो जायेंगे। इन पदों को इससे पूर्व भी बिना किसी सूचना के समाप्त किया जा सकता है।

4. इन सृजित पदों पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या-11 के अधीन आयोजनागत पक्ष में लेखा शीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा, 01—प्रारम्भिक शिक्षा, 800—अन्य व्यय, 01—केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं, 0104—सर्व शिक्षा अभियान (35% राज्यांश), 20—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

5. उक्त पदों की व्यवस्था हेतु अधोलिखित शैक्षिक योग्यता निर्धारण करते हुए निम्नांकित शर्तों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी:-

क्र०सं०	पद का नाम	शैक्षिक योग्यता
1	योग / शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य शिक्षक	<p>1. विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से व्यायाम विषय के साथ स्नातक।</p> <p>अथवा</p> <p>विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक।</p> <p>तथा</p> <p>विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से योग शिक्षा में डिप्लोमा / बी०पी०एड० / डी०पी०एड०।</p> <p>अथवा</p> <p>विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक।</p> <p>तथा</p> <p>एन०सी०टी०ई० द्वारा परिभाषित समकक्ष उपाधि।</p>
2	संगीत एवं वादन	<p>1. विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से गायन अथवा वादन में स्नातक।</p> <p>अथवा</p> <p>विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक।</p> <p>तथा</p> <p>राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त परिषद्/संस्था से संगीत गायन/वादन/नृत्य विषय के साथ इण्टरमीडिएट</p> <p>अथवा</p> <p>विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक।</p> <p>तथा</p> <p>प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से संगीत गायन/वादन/नृत्य में द्विवर्षीय डिप्लोमा।</p> <p>अथवा</p> <p>विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक।</p> <p>तथा</p> <p>भातखण्डे संगीत महाविद्यालय से संगीत गायन/वादन/नृत्य में द्विवर्षीय डिप्लोमा।</p> <p>अथवा</p> <p>विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक।</p>

		<p style="text-align: right;">तथा</p> <p>राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त परिषद्/संस्था से संगीत गायन/वादन/नृत्य में द्विवर्षीय डिप्लोमा।</p> <p><u>अधिमानी—</u> राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त परिषद्/संस्था से संगीत विशारद अथवा प्रभाकर को वरीयता दी जायेगी।</p>
3	कला	<p>1. विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी0एफ0ए0 अथवा कला विषय के साथ स्नातक।</p> <p style="text-align: right;">अथवा</p> <p>विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक।</p> <p style="text-align: right;">तथा</p> <p>मान्यता प्राप्त परिषद्/संस्था द्वारा प्राविधिक कला/आलेखन कला/ड्राइंग एवं पैटिंग के साथ इंटरमीडिएट।</p>
4	कार्यानुभव	<p>कार्यानुभव विषय के अन्तर्गत निम्न ट्रेड संचालित किये जायेंगे।</p> <ul style="list-style-type: none"> 1- Mushroom Cultivation 2- Plantation 3- Bee Keeping 4- Biofertilizers 5- Cooperative Store 6- Alpna 7- Horticulture 8- Knitting 9- Garment Making 10-Help in natural calamity 11-Decoration of natural material (i.e. pine cone, Timber, Pipal leaf, Neam 12-Development plants by vegetative propagation-budding,grafting, cutting layering etc. 13-Poultry birds. 14-Communication Skill. 15-Herbal related trade. 16-Certificate course in Computer. <p>उक्त कोर्स चलाने हेतु अध्यापक की योग्यता निम्नवत् निर्धारित की गयी हैः—</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। 2. उपरोक्त किसी भी एक ट्रेड में प्रशिक्षित। <p><u>अधिमानी:-</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 1. कम्प्यूटर तथा अंग्रेजी के व्यावहारिक ज्ञान को वरीयता दी जायेगी। 2. जीव विज्ञान/कृषि विज्ञान/सूक्ष्म जीव विज्ञान/गृह विज्ञान/वस्त्र विज्ञान में स्नातक उपाधि धारक को सम्बन्धित ट्रेड में वरीयता दी जायेगी। ऐसे अभ्यर्थी को ट्रेड में प्रशिक्षित होना आवश्यक नहीं होगा।
5	ब्लाक रिसोर्स पर्सन	<p>तथा</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि के साथ किसी राजकीय या सरकार से

	क्लस्टर रिसोर्स पर्सन	मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान / महाविद्यालय से एल0पी0/ डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण में स्नातक उपाधि (बी0एड0)। 2. विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एम0एड0/ पी0एच0डी0 उपाधि धारक को वरीयता दी जायेगी।
6	एम0आई0एस0 समन्वयक	1. विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से बैचलर ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन (BCA) की उपाधि। 2. एम0आई0एस0 के क्षेत्र में एक वर्ष के अनुभव को वरीयता दी जायेगी।
7	एकाउन्टेण्ट कम स्टाफ सपोर्ट	1. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातक एकाउन्टेंसी के साथ उत्तीर्ण। 2. लेखा कार्य में एक वर्ष का अनुभव।

6. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या—03(P)/XXVII(3)/ 2011–12, दिनांक 06.04.2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मनीषा पंवार)
सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।


प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. निदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड (राज्य परियोजना निदेशक के माध्यम से)।
5. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ओ0पी0तिवारी)
उप सचिव।

“उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद”



राज्य परियोजना कार्यालय

ननूरखेड़ा, तपोवन मार्ग, रायपुर, देहरादून-248001

Email:- spd-ssa-uk@nic.in

फोन / फैक्स : 0135 : 2781941, 2781942, 2781943

सेवा में

समस्त जिला परियोजना अधिकारी
सर्व शिक्षा अभियान
उत्तराखण्ड।

पत्रांक : रा०प०नि०/ ५०४७ /आर०टी०ई०-५/२०११-१२ दिनांक : १२ दिसम्बर २०११
विषय : शिक्षा का अधिकार अधिनियम-सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत स्वीकृत कार्मिकों की व्यवस्था के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने जनपद की आर०टी०ई०-एस०एस०ए० वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट २०११-१२ का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें अल्पकालिक अनुदेशक, ब्लाक रिसोर्स पर्सन, एम०आई०एस० समन्वयक, एकाउटेंट कम सपोर्ट स्टाफ तथा कलस्टर रिसोर्स पर्सन के पदों की स्वीकृति प्राप्त है। इस सन्दर्भ में राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक-रा०प०नि०/५०१९/०५-आर०टी०ई०/२०११-१२ दिनांक ०८ दिसम्बर २०११ के द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश दिये गये हैं। कार्मिकों की उपलब्धता हेतु उपनल से अनुरोध किया गया है। कार्मिकों की तत्काल उपलब्धता हेतु उपनल द्वारा निम्न विवरण चाहा गया है।

क्र०सं०	पद का नाम	विवरण					
1	अल्पकालिक अनुदेशक	अल्पकालिक अनुदेशकों की तैनाती ऐसे उच्च प्राथमिक विद्यालयों में की जानी है, जिसकी छात्र संख्या 100 से अधिक हो। ऐसे प्रत्येक विद्यालय में कला, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा तथा कार्यानुभव हेतु 03 अल्पकालिक अध्यापकों की तैनाती का प्राविधान है। कृपया पूरक वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट २०१०-११ में स्वीकृत (सूची संलग्न) अल्पकालिक अनुदेशकों के पदों का विवरण निम्नांकित प्रारूप पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र०सं०</th><th>उच्च प्राथमिक विद्यालय का नाम</th><th>विकासखण्ड का नाम</th><th>सी०आर०सी० का नाम</th><th>छात्र संख्या</th></tr> </thead> </table>	क्र०सं०	उच्च प्राथमिक विद्यालय का नाम	विकासखण्ड का नाम	सी०आर०सी० का नाम	छात्र संख्या
क्र०सं०	उच्च प्राथमिक विद्यालय का नाम	विकासखण्ड का नाम	सी०आर०सी० का नाम	छात्र संख्या			
2	एकाउटेंट कम सपोर्ट स्टाफ	एकाउटेंट कम सपोर्ट स्टाफ की तैनाती ५० विद्यालयों पर एक के आधार पर की जानी है। कृपया विकासखण्डवार निम्नांकित प्रारूप पर सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें।	<table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र०सं०</th><th>विकासखण्ड का नाम</th><th>कुल प्राथमिक तथा उ०प्रा०वि० की संख्या</th><th>एकाउटेंट कम सपोर्ट स्टाफ की संख्या</th></tr> </thead> </table>	क्र०सं०	विकासखण्ड का नाम	कुल प्राथमिक तथा उ०प्रा०वि० की संख्या	एकाउटेंट कम सपोर्ट स्टाफ की संख्या
क्र०सं०	विकासखण्ड का नाम	कुल प्राथमिक तथा उ०प्रा०वि० की संख्या	एकाउटेंट कम सपोर्ट स्टाफ की संख्या				

3	कलस्टर रिसोर्स पर्सन	कलस्टर रिसोर्स पर्सन की स्वीकृति क्रमशः जनपद बागेश्वर हेतु 2, टिहरी हेतु 2, ऊधमसिंह नगर हेतु 5 तथा उत्तरकाशी हेतु 6 पदों की प्राप्त है। सी0आर0पी0 हेतु निम्नांकित प्रारूप पर सूचना उपलब्ध कराये।		
		क्र0सं0	विकासखण्ड का नाम	कलस्टर संसाधन केन्द्र का नाम
4	ब्लाक रिसोर्स पर्सन	प्रत्येक विकासखण्ड में 3 ब्लाक रिसोर्स पर्सन की तैनाती ब्लाक संसाधन केन्द्र में की जानी है। विस्तृत विवरण संलग्नक 1 पर संलग्न है। इन पदों हेतु ऐसे सेवानिवृत्त शिक्षक पात्र होंगे जिनकी अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष हो। प्रत्येक विकासखण्ड में गणित-विज्ञान विषय हेतु एक, भाषा/ सामाजिक अध्ययन हेतु एक तथा अंग्रेजी विषय हेतु एक ब्लाक रिसोर्स पर्सन की तैनाती की जायेगी। चयन में राष्ट्रपति/राज्य पुरस्कार प्राप्त सेवानिवृत्त शिक्षकों को वरीयता प्रदान की जायेगी।		चूंकि प्रकरण समयबद्ध है। अतः प्रकरण को सर्वोच्च वरीयता देते हुए उक्तानुसार सूचनाये अविलम्बतः दिनांक 13 दिसम्बर 2011 तक अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीया

Ram

(डॉ निधि पाण्डेय)
राज्य परियोजना निदेशक
देहरादून, उत्तराखण्ड

पृ0सं0 : रा0प0नि0 / 5047 / आर0टी0ई0-5 / 2011-12 तददिनांक


प्रतिलिपि—

- निदेशक, विद्यालयी शिक्षा को सूचनार्थ प्रेषित।
- समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
- महाप्रबन्धक उपनल को सूचनार्थ प्रेषित।

Ram

(डॉ निधि पाण्डेय)
राज्य परियोजना निदेशक
देहरादून, उत्तराखण्ड

“उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद्”



राज्य परियोजना कार्यालय

नूरखेड़ा, तपोवन मार्ग, रायपुर, देहरादून-248001

Email:- spd-ssa-uk@nic.in

फोन / फैक्स : 0135 : 2781941, 2781942, 2781943

सेवा में

महाप्रबन्धक
उपनल
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक : रा०प०नि०/ ५०४८ / आर०टी०ई०-५/ २०११-१२ दिनांक : १२ दिसम्बर २०११
विषय : सर्व शिक्षा अभियान तथा मध्याहन भोजन योजना हेतु कार्मिक उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक रा०प०नि०/५०१८/०५-आर०टी०ई०/२०११-१२ दिनांक ८ दिसम्बर २०११ का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र द्वारा आपसे सर्व शिक्षा अभियान तथा मध्याहन भोजन योजना प्रकोष्ठ हेतु कार्मिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निवेदन किया गया था। निम्नांकित पदों हेतु कार्मिकों की व्यवस्था का विस्तृत विवरण निम्नवत् है-

क्र०सं०	पद का नाम	संख्या	अन्य विवरण
1	ब्लाक रिसोर्स पर्सन	285	प्रत्येक विकासखण्ड में ३ ब्लाक रिसोर्स पर्सन की तैनाती ब्लाक संसाधन केन्द्र में की जानी है। विस्तृत विवरण संलग्नक १ पर संलग्न है। इन पदों हेतु ऐसे सेवानिवृत्त शिक्षक पात्र होंगे जिनकी अधिकतम आयु सीमा ६५ वर्ष हो। प्रत्येक विकासखण्ड में गणित-विज्ञान विषय हेतु एक, भाषा/ सामाजिक अध्ययन हेतु एक तथा अंग्रेजी विषय हेतु एक ब्लाक रिसोर्स पर्सन की तैनाती की जायेगी। चयन में राष्ट्रपति/ राज्य पुरस्कार प्राप्त सेवानिवृत्त शिक्षकों को वरीयता प्रदान की जायेगी।
2	कलस्टर रिसोर्स पर्सन	15	कलस्टर रिसोर्स पर्सन की तैनाती जनपद बागेश्वर हेतु दो, टिहरी हेतु दो, ऊधमसिंह नगर हेतु पाँच तथा उत्तरकाशी हेतु छः पदों के प्रति की जानी है। इन पदों हेतु भी ऐसे सेवानिवृत्त शिक्षक पात्र होंगे जिनकी अधिकतम आयु सीमा ६५ वर्ष हो। चयन में राष्ट्रपति/ राज्य पुरस्कार प्राप्त सेवा निवृत्त शिक्षकों को वरीयता प्रदान की जायेगी। कार्यस्थल का विवरण प्राप्त करने के लिए जनपदों को पृथक से पत्रालेख प्रेषित किया गया है। यथाशीघ्र विस्तृत विवरण सेवा में प्रेषित किया जायेगा।
3	एम०आई०एस० समन्वयक	95	एम०आई०एस० समन्वयक की तैनाती प्रत्येक विकासखण्ड हेतु एक पद पर की जानी है। विस्तृत विवरण संलग्नक-२ पर संलग्न है।
4	एकाउटेंट कम सपोर्ट स्टाफ	363	एकाउटेंट कम सपोर्ट स्टाफ की तैनाती ५० विद्यालयों पर की जानी है। कार्यस्थल का विवरण

			प्राप्त करने के लिए जनपदों को पृथक से पत्रालेख प्रेषित किया गया है। यथाशीघ्र विस्तृत विवरण सेवा में प्रेषित किया जायेगा।
5	अल्पकालिक अनुदेशक	1221	अल्पकालिक अनुदेशकों की तैनाती ऐसे उच्च प्राथमिक विद्यालयों में की जायेगी जिनकी छात्र संख्या 100 से अधिक हो। कार्यस्थल का विवरण प्राप्त करने के लिए जनपदों को पृथक से पत्रालेख प्रेषित किया गया है। यथाशीघ्र विस्तृत विवरण सेवा में प्रेषित किया जायेगा।

कृपया यह भी अवगत कराना है कि इस कार्यालय के पत्रांक रा०प०नि०/५०१८/०५—आर०टी०ई०/ २०११—१२ दिनांक ८ दिसम्बर २०११ के क्रम संख्या—०२ पर त्रुटिवश कार्मिकों की तैनाती ३१ मार्च २०११ तक किये जाने का उल्लेख किया गया है। कार्मिकों की तैनाती प्रथमतः ३१ मार्च २०१२ तक की जानी है। वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट २०१२—१३ में भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृतियों के क्रम में ही कार्मिकों की कार्य अवधि बढ़ाने पर विचार किया जायेगा। पुनः अनुरोध है कि इस कार्यालय के पत्रांक रा०प०नि०/५०१८/०५—आर०टी०ई०/ २०११—१२ दिनांक ८ दिसम्बर २०११ में बिन्दु संख्या—०१ पर उल्लेखित शासनादेशों में वर्णित शैक्षिक तथा प्रशिक्षण योग्यताओं तथा बिन्दु संख्या—०७ में वर्णित कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक ११ जुलाई २०११ के एजेंडा बिन्दु संख्या—८ पर लिये गये निर्णयानुसार कार्मिकों की उपलब्धता यथाशीघ्र सुनिश्चित करने का कष्ट करें तथा प्रत्येक जनपद एवं राज्य स्तरीय कार्यालयों में कार्मिकों की व्यवस्था सम्बन्धी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाये जाने के उद्देश्य से शासकीय नियमों को दृष्टिगत रखते हुए अपने स्तर से इस सम्बन्ध में व्यापक प्रचार—प्रसार भी करने का कष्ट करें।

भवदीय

संलग्नक—यथोपरि

⑦८८८

(डॉ०. निधि पाण्डेय)
राज्य परियोजना निदेशक
देहरादून, उत्तराखण्ड

पृ०सं० : रा०प०नि०/ ५०४८ /आर०टी०ई०—५/२०११—१२ तददिनांक
प्रतिलिपि—

- निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
- समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- समस्त जिला परियोजना अधिकारी, उत्तराखण्ड।

⑦८८८

(डॉ० निधि पाण्डेय)
राज्य परियोजना निदेशक
देहरादून, उत्तराखण्ड



सेवा में,

- (1) समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, (2) समस्त जिला परियोजना अधिकारी,
उत्तराखण्ड। सर्व शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड।

पत्रांक: रा०प०नि०/ ५०१९ /०५-RTE/2011-12 दिनांक ०८ दिसम्बर, 2011
विषय: आर०टी०ई०-एस०एस०ए० वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2011-12 में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत स्वीकृत कार्मिकों की तैनाती विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने जनपद की आर०टी०ई०-एस०एस०ए० वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2011-12 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार कार्मिकों की स्वीकृति भारत सरकार (पी०ए०बी०) से प्राप्त है।

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पकालिक अनुदेशक (कला) (रु० 8000 प्रतिमाह अधिकतम)	अल्पकालिक अनुदेशक (स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा) (रु० 8000 प्रतिमाह अधिकतम)	अल्पकालिक अनुदेशक (कार्यानुभव) (रु० 8000 प्रतिमाह अधिकतम)	विषय विशेष प्रशिक्षण हेतु बी०आर०सी० स्तर पर रिसोर्स पर्सन (बी०आर०पी०) (रु० 15000 प्रतिमाह अधिकतम)	एम०आई० एस० समन्वयक (रु० 12000 प्रतिमाह अधिकतम)	एकाउन्टेण्ट कम सपोर्ट स्टाफ (रु० 10000 प्रतिमाह अधिकतम)	कलस्टर रिसोर्स पर्सन (सी०आर० पी०) (रु० 15000 प्रतिमाह अधिकतम)
1	अल्मोड़ा	07	07	07	33	11	44	0
2	बागेश्वर	05	05	05	9	3	17	2
3	चमोली	06	06	06	27	9	28	0
4	चम्पावत	06	06	06	12	4	14	0
5	देहरादून	83	83	83	18	6	34	0
6	हरिद्वार	102	102	102	18	6	18	0
7	नैनीताल	25	25	25	24	8	29	0
8	पौड़ी	16	16	16	45	15	47	0
9	पिथौरागढ़	04	04	04	24	8	27	0
10	रुद्रप्रयाग	09	09	09	9	3	16	0
11	टिहरी	12	12	12	27	9	41	2
12	ऊ०सिंहनगर	119	119	119	21	7	26	5
13	उत्तरकाशी	13	13	13	18	6	22	6
	योग	407	407	407	285	95	363	15

उक्त कार्मिकों की उपलब्धता हेतु उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम (उपनल) से अनुरोध किया गया है। उपनल द्वारा कार्मिकों की उपलब्धता करवाये जाने पर निम्न विवरणानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

- पदवार शैक्षिक एवं प्रशिक्षण योग्यताओं का निर्धारण शासनादेश संख्या-377/XXIV(1)/2011-62/2010 दिनांक 28 अप्रैल 2011 के द्वारा निर्धारित की गयी हैं। शासनादेश की छायाप्रति संलग्न है। उपनल द्वारा उपलब्ध करवाये गये कार्मिकों की शैक्षिक एवं प्रशिक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्रों तथा पदवार दक्षताओं को सत्यापित करने हेतु जनपद स्तर पर एक समिति का गठन करें जिसमें पद से सम्बन्धित विशेषज्ञ समिलित हों।

उक्त समिति पूर्ण संतुष्ट होने के पश्चात ही सम्बन्धित कार्मिक को कार्यभार ग्रहण करवायेंगे। समिति द्वारा की गयी कार्यवाही को स्वयं भी अवलोकित कर लें। शैक्षिक तथा प्रशिक्षण योग्यता सम्बन्धी अंक पत्रों तथा प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रतियाँ सम्बन्धित जिला परियोजना कार्यालय में सुरक्षित रखी जानी आवश्यक होंगी।

2. उक्त पदों पर प्रथमतः कार्मिकों की तैनाती 31 मार्च 2011 तक की जायेगी तथा वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2012-13 में भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृतियों के क्रम में ही कार्मिकों की कार्य अवधि बढ़ाने पर विचार किया जायेगा।
3. प्रत्येक पद के सापेक्ष कार्मिकों के कार्य एवं दायित्वों के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश पृथक से उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। जिनका अनुपालन कार्मिकों को अनिवार्यतः करना होगा।
4. कार्मिकों की संख्या आवश्यकतानुसार समय-समय पर घट-बढ़ सकती है।
5. कार्मिकों का कार्य/व्यवहार संतोषप्रद न पाये जाने पर सम्बन्धित कार्मिक को उपनल को किसी भी समय प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा।
6. कार्मिकों के मानदेय सम्बन्धी बिल उपनल द्वारा प्रतिमाह सम्बन्धित जिला परियोजना कार्यालय को उपलब्ध करवाये जायेंगे। मानदेय बिलों में कार्मिक को देय मानदेय, ₹०ए०आ०५०, पी०ए०, सर्विस टैक्स तथा सर्विस चार्ज की धनराशि का स्पष्ट विवरण होगा। कार्मिकों को मानदेय का भुगतान सक्षम अधिकारी द्वारा उनकी उपस्थिति प्रमाण पत्र के आधार पर ही किया जायेगा।
7. उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद की कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 11 जुलाई 2011 के एजेण्डा बिन्दु संख्या-८ पर आउट सोर्सिंग के माध्यम से की जाने वाली तैनातियों में स्थानीय निवासियों को वरीयता प्रदान किये जाने तथा सर्व शिक्षा अभियान-आ०टी०५० के अन्तर्गत स्वीकृत बी०आ०पी० के 285 तथा सी०आ०पी० के 15 पदों पर सेवानिवृत्त अध्यापकों की तैनाती किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया है। कार्यकारिणी समिति की बैठक का कार्यवृत्त संलग्न है। इन कार्मिकों की तैनाती कार्यकारिणी समिति के निर्देशानुसार ही की जानी होगी।
8. शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की अनुसूची के अनुसार ऐसे उच्च प्राथमिक विद्यालयों जिनमें छात्र संख्या 100 से अधिक हो, में 03 अल्पकालिक अध्यापकों की तैनाती किये जाने का प्रावधान है। अतः अल्पकालिक अध्यापकों की तैनाती ऐसे विद्यालयों में ही की जाये जिनकी छात्र संख्या 100 से अधिक है।

कृपया, उक्त विवरणानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीया

१०५००८

(डा० निधि पाण्डेय)
राज्य परियोजना निदेशक,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पृ०सं०: रा०प०नि०/५०१९/०५-RTE/2011-12 तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ तथा अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महाप्रबन्धक, उपनल, उत्तराखण्ड।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।

१०५०८

(डा० निधि पाण्डेय)
राज्य परियोजना निदेशक,
उत्तराखण्ड, देहरादून।